आवश्यक /महत्वपूर्ण

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या - 835/1415080 दिनांक 07-10-2014

पत्र संख्या -फार्म अनु0(582)वाल्यूम 2014-15 // //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

(फार्म अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 01 अक्टूबर//2014

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर नियमावली 2008 के नियम -54 के उपनियम (5) में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुऐ कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश दि0 26-09-2014 के अन्तर्गत उ0प्र0 में करयोग्य वस्तुओं के आयात हेतु घोषणा पत्र (फार्म-38) के सम्बन्ध में निम्न घोषणाऍं करते हुए आदेश प्रदान किये गये हैं कि :-

1. फार्मो का मुद्रण सिक्योरिटी फीचर्स सहित 70 जी0एस0एम0 के मैपलिथों पेपर पर किया गया है। फार्मो का आकार 40 से0मी0 X 29.5 से0मी0 होगा। फार्म-38 पर क्रमांक-07 डिजिट के होगें तथा फार्म-38 पर नई सीरीज -CC अंकित की गई है, में निम्नलिखित विशेषताऍं हैं।

(क) फार्मो का मुद्रण उत्तर प्रदेश सरकारी वाणिज्य कर विभाग की वृत्ताकार जलांकित सीलयुक्त पेपर पर किया गया है।

(ख) फार्म दो प्रतियों (मूल व द्वितीय प्रति) में मुद्रित किया गया है।

(ग) फार्म में प्रिन्टिंग सिक्योरिटी चेक पैटर्न डला हुआ है।

(घ) फार्म का मुख पृष्ठ चार कलर में तथा अन्त: पृष्ठ एक कलर में छपा हुआ है।

(ड़) फार्म का अन्त: पृष्ठ औरेंज फ्लोरासेन्ट इंक में छपा हुआ है जो यू0वी0 प्रकाश में चमकेगा और फोटो कापी कराने पर कलर बदल जायेगा।

(च) फार्मो में विशिष्ट प्रकार का सात अंको के नम्बर की व्यवस्था की गयी है।

(छ) फार्म के बीच के हिस्से की डिजाइन की प्रिन्टिंग स्पेशल इंक से की गयी है जिस पर किसी केमिकल का प्रयोग करने पर स्वत: डिजाइन मिट जायेगी।

(ज) मूल प्रति के दाहिने तरफ दिये गये बाक्स जिनकी संख्या-36 है उनके अंदर डार्क पिंक कलर में सिक्योरिटी ग्राऊन्ड के ऊपर काले रंग के अक्षर व स्टार तथा गिनती छापी गयी है।

(झ) फार्म में हल्के ग्रीन तथा पिंक कलर की पट्टी छापी गयी है।

(ट) फार्मो की पट्टी पर "वाणिज्य कर विभाग उ0प्र0" लगातार छापा गया है।

(ठ) फार्म के बीचो बीच उत्तर प्रदेश सरकार वाणिज्य कर विभाग की सील हल्के पिंक कलर में छापी गयी है।

(ड) फार्म के सिक्योरिटी ग्राऊन्ड पर ब्लैक कलर में मैटर छापा गया है।

(ढ) आयात हेतु घोषणा पत्र की द्वितीय प्रति के बायीं तरफ "स्टार तथा जो लागू न हो उसे काट दिया जाये (x) घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का फर्म से सम्बन्ध (अर्थात स्वामी / भागीदार / निदेशक, प्रबन्धक इत्यादि)निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।" छापा गया है।